महत्वपूर्ण एवं खास

विधानसभा निर्वाचन 2023 में अधिग्रहित वाहनों के किराया राशि का किया जा रहा भुगतान

रायगढ़। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा निर्वाचन-2023 के दौरान निर्वाचन कार्य हेतु अधिग्रहित/उपयोग किए गए वाहनों का किराया राशि के भुगतान की कार्यवाही वाहन मालिकों को चेक के माध्यम से किया जा रहा है। ऐसे वाहन मालिक जिनका वाहन विधानसभा निर्वाचन-2023 में अधिग्रहित किया गया था। वे उक्त वाहन से संबंधित अधिग्रहण आदेश, आर.सी.बुक की छायाप्रति, स्वयं के आधार कार्ड की प्रति के साथ जिला कार्यालय रायगढ़ के कक्ष क्रमांक-41 में उपस्थित होकर संबंधित लिपिक डीकाराम शेष एवं जयप्रकाश देवांगन (मोबा.नं.80856-46512)से संपर्क कर चेक प्राप्त कर सकते है।

शासकीय मदिरा दुकान अहाता के लिए चयन अब 10 मई को होगा

सारंगढ़ बिलाईगढ़। आबकारी विभाग छत्तीसगढ़ ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में स्थित देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान की फुटकर दुकानों के अनुज्ञप्त परिसर से संलग्न अहातों के लिए ऑनलाईन निविदा आमंत्रित 25 अप्रैल 2024 को शाम 5:30 बजे तक टेंडर मंगाया है। इन ऑनलाईन पद्धति से प्राप्त निविदाओं में से अनुज्ञप्तिधारियों का चयन अब 10 मई को सुबह 11 बजे कलेक्टोरेट परिसर रायगढ़ में किया जाएगा। पूर्व में यह चयन 26 अप्रैल को किया जाना था।

रायगढ़ जनरल आब्जर्वर, पुलिस आब्जर्वर एवं व्यय प्रेक्षक से कर सकते हैं मुलाकात

सारंगढ़ बिलाईगढ़। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिए लोकसभा क्षेत्र-02 रायगढ़ के लिए जनरल आब्जर्वर डॉ.अंशज सिंह, आईएएस एवं पुलिस ऑब्र्जवर मुख्तार मोहसिन, आईपीएस तथा व्यय प्रेक्षक सेंथिल कुमार बी को नियुक्त है। राजनीतिक दल, मीडिया, प्रतिनिधि एवं आम जनता जनरल आब्जर्वर डॉ.अंशज सिंह, आईएएस मोबाइल नं.76470-46068 से सर्किट हाऊस रायगढ़ के कक्ष क्रमांक 1 में प्रात: 11 से दोपहर 12 बजे तक मिल सकते है एवं दूरभाष क्रमांक 07762-297413 में संपर्क कर सकते है। इसी तरह पुलिस ऑब्जर्वर मुख्तार मोहसिन, आईपीएस मोबाइल नं. 76470-42544 से सर्किट हाऊस रायगढ़ के कक्ष क्रमांक-2 में प्रात: 11 से दोपहर 12 बजे तक मिल सकते है एवं दूरभाष क्रमांक 07762-297412 में संपर्क कर सकते है। इसी तरह व्यय प्रेक्षक सेंथिल कुमार बी मोबाइल नं.76470-45962 से सर्किट हाऊस रायगढ़ के कक्ष क्रमांक-5 में प्रात: 11 से दोपहर 12 बजे तक मिल सकते है एवं दूरभाष क्रमांक 07762-297411 में संपर्क कर सकते है।

महिला क्रिकेट में शानदार सफलता

रायगढ़ (आरएनएस)। जिला क्रिकेट संघ की महिला खिलाड़ी प्रेमशिला कुजूर और धनेश्वरी सिदार का चयन चैलेंजर कप अंडर 19 के लिए किया गया है। जिला क्रिकेट संघ के सचिव रामचन्द्र शर्मा ने बताया कि बीसीसीआई द्वारा महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के संबंध में निर्देश पर छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के द्वारा आदेशित किए जाने से जिला क्रिकेट संघ रायगढ़ ने महिला क्रिकेट के ट्रायल हेतु राजधानी विभिन्न उम्र वर्ग की टीम भेजी गई थी। राजधानी के हुए ट्रायल में धनेश्वरी सिदार और प्रेमशिला कुजूर ने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया। जिसके कारण दोनों का चयन चैलेंजर कप अंडर 19 के लिए हुआ। प्रेमशिला का चयन छत्तीसगढ़ की साउथ जोन एवं धनेश्वरी का चयन ईस्ट जोन की टीम में हुआ है। इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर छत्तीसगढ़ की अंडर 19 टीम का अंतिम रूप से गठन होगा।

अग्निशमक यंत्र के उपयोग, जैव अपशिष्ट प्रबंधन एवं निपटान एवं ऑक्सीजन टेक्निकल समिति की बैठक सह कार्यशाला का हुआ आयोजन

रायगढ़

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.बी.के.चंद्रवंशी की उपस्थिति में अग्निशमक यंत्र का उपयोग, जैव अपशिष्ट प्रबंधन एवं निपटान, ऑक्सीजन टेक्निकल समिति की बैठक सह एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस दौरान उपस्थित सभी सदस्य व शासकीय अस्पताल में होने वाले आगजनी को नियंत्रित करने के उददेश्य से अग्निशमन विभाग द्वारा जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिला अस्पताल के अधिकारी/ कर्मचारी को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जिसमें उन्हें फायर एक्जिक्युटर के द्वारा भौतिक रूप से आग बुझाने की तकनीकी बतायी गयी। हास्पिटल के प्रत्येक दिशा में एक निश्चित अनुपात में फायर एक्जिक्युटर लगाने के दिशा निर्देश दिये गये एवं अस्पतालो में फायर एनओसी प्राप्त करने के संबंध में आने में वाले कठिनाइयों के बारे में विस्तृत से जानकारी दी गई जिससे अग्निशमन विभाग के दिये गये दिशा निर्देशानुसार जरूरी उपकरणों को स्थापित करते हुए एनओसी प्रक्रिया पूर्ण किया जा सके।

जैव अपशिष्ट प्रबंधन एवं निपटान के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा समस्त विकासखंड चिकित्सा अधिकारी, विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए अवगत कराया गया कि सभी स्वास्थ्य संस्था, जैव अपशिष्ट का प्रधिकार एवं रिनूवल का कार्य पूर्ण कर लेवे साथ ही अस्पतालों में उत्पन्न होने वाले जैव अपषिष्ट का निपटान नियमानुसार करें। नियमानुसार ही डस्टबीन लाइनर, डीप पीट, शार्प पीट इत्यादि का उपयोग करें।

ऑक्सीजन टेक्निकल समिति की बैठक में उपस्थित क्लींटन हेल्थ से आये हुये सलाहकार द्वारा ऑक्सीजन की उपयोगिता एवं प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गयी जिसके अनुसार जिला ऑक्सीजन प्रबंधन एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट एवं मैनीफोल्ड का प्रत्येक माह मॉक ड्रील करना बताया गया तथा अस्पतालों में मौजूद वेल्टिलेटर, ऑक्सीजन कंस्लेटर, मल्टीपैरामॉनिटर, बाइपेप मशीन इत्यादि को चलायमान स्थिति में रखना बताया गया।

इस अवसर पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक रंजना पैंकरा, जिला बायोमेडिकल इंजीनियर, विकासखंड चिकित्सा अधिकारी, विकासखंड प्रबंधक, जिला बायोमेडिकल इंजीनियर, सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय,100 बिस्तरीय मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल व रायगढ़ शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी,समस्त सदस्य ऑक्सीजन टेक्निकल सदस्य उपस्थित रहे।

अभ्यर्थी अब रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय से ले सकेंगे संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र के लिए वाहन की अनुमति

❐ **अनुमति हेतु अतिरिक्त कलेक्टर को किया गया अधिकृत**

❐ **वाहन अनुमति हेतु अनिवार्य दस्तावेज सहित निर्धारित प्रारूप में करना होगा आवेदन**

रायगढ़। कलेक्टर एवं रिटर्निंग ऑफिसर कार्तिकेया गोयल ने लोकसभा निर्वाचन-2024 की अवधि के दौरान निर्वाचन लडऩे वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को संसदीय क्षेत्र क्रमांक 02-रायगढ़ (अजजा) के संपूर्ण क्षेत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से वाहन अनुमति दिए जाने हेतु संतन देवी जांगड़े अतिरिक्त कलेक्टर/नोडल अधिकारी (कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था/अनुमति) को ऑनलाईन/ ऑफलाईन अनुमति दिए जाने हेतु अधिकृत एवं आदेशित किया है।

वाहन अनुमति हेतु लगेंगे ये दस्तावेज

वाहन अनुमति हेतु अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन दस्तावेज की छायाप्रति, वाहन चालक का ड्रायविंग लाइसेंस की छायाप्रति, राजनीतिक दल प्राधिकार पत्र (आथॉरिटी लेटर)-निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा आवेदन किए जाने परए वाहन का बीमा पत्रक एवं फिटनेस सर्टिफिकेट (यदि आवश्यक हो)दस्तावेज जमा करना होगा।

मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर भी मतदाता कर सकेंगे मतदान

सारंगढ़ बिलाईगढ़

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए है। आयोग सभी मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे मतदान स्थल पर अपना मत देने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे।

यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनके लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज भी अनुमत किए गए है। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा - आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/ विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड शामिल है। मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे।

प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर निर्वाचक नामावालियों में पंजीकृत है, मतदान केंद्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा अन्य कोई पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित

रायगढ़

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.बी.के.चन्द्रवंशी की उपस्थिति में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गांधीनगर में एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें डॉ.टी.जी.कुलवेदी, जिला मलेरिया अधिकारी ने शहरी क्षेत्र से आये सभी ए.एन.एम./ आर.एच.ओ.(पु.),सीएचओ तथा अन्य विभाग के कर्मचारियों को मच्छर के प्रजाति से लेकर मलेरिया से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान किया गया। इस दौरान मलेरिया कार्यक्रम की रूपरेखा सन् 1953 से लेकर राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2004 से अब तक की मलेरिया उन्मूलन हेतु किये गये संपूर्ण भारतवर्ष में मलेरिया प्रकरणों की खोज एवं निदान कार्यों का विवरण बताया गया, जिससे मलेरिया को नियंत्रण किया जा सके।

जिले के समस्त विकासखण्डों को विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर बैनर, पोस्टर, एवं अन्य संदेश के माध्यम से निचले स्तर पर प्रचार-प्रसार करते हुए विश्व मलेरिया दिवस मनाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके साथ ही रायगढ़ के शहरी क्षेत्र एवं समस्त विकासखण्ड में विश्व मलेरिया दिवस के उपलक्ष्य में वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें जन-जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार हेतु ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्डों में नारा लेखन एवं बैनर-पोस्टर का प्रदर्शन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में विगत वर्षो के आकड़ो को मद्देनजर रखा जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में मलेरिया प्रकरणों में वृहद कमी देखने को मिली है, साथ ही रायगढ़ जिला में भी विगत पाँच वर्षों से मलेरिया के केश में कमी पायी गई है। रायगढ़ जिले के 7 विकासखण्डों में से अति संवेदनशील चार विकासखण्डों में विशेष ध्यान देने की जरूरत रहती है।

सीएमएचओ डॉ. चन्द्रवंशी ने उपस्थित सभी कर्मचारियों को मलेरिया शंकास्पद जांच की ओर विशेष ध्यान देने एवं पॉजीटीव केश आने पर तत्काल इलाज कर फालोअॅप करते हुए मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये। जिले के पिछले 7 साल के आकड़ों(वर्ष 2017 में 2692 केश, वर्ष 2018 में 1055केश, वर्ष 2019 में 824केश, वर्ष 2020 में 363केश एवं वर्ष 2021 में 155केश एवं 2022-23 में 133 केश) पर गौर करेगें तो मलेरिया के प्रकरणों में लगातार वृहद कमी आई है। उन्होंने कहा कि सतत प्रयास करते रहने से एवं जनमानस के सहयोग से बहुत जल्द ही रायगढ़ जिले को मलेरिया मुक्त जिले के रूप में घोषित कर सकेंगे। शासन की मंशा है कि छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2030 तक मलेरिया मुक्त राज्य के रूप में घोषित किया जा सके। उक्त बैठक में जिला कार्यक्रम प्रबंधक रंजना पैंकरा, शहरी कार्यक्रम प्रबंधक पी.डी. बस्तिया, व्हीबीडीटीएस गौतम प्रसाद सिदार एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व सामान्य प्रेक्षक की उपस्थिति में ईवीएम मशीनों का किया गया द्वितीय रेण्डमाईजेशन

रायगढ़

भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम अनुसार लोक सभा निर्वाचन-2024 हेतु मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा सामान्य प्रेक्षक डॉ अंशज सिंह व कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल की उपस्थिति में ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों का द्वितीय रेण्डमाईजेशन की प्रक्रिया पूर्ण की गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय, एसडीएम सारंगढ़ वाशु जैन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी जशपुर प्रदीप साहू भी उपस्थित रहे।

जिला कार्यालय के सभा कक्ष में भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के सॉफ्टवेयर में विधान सभावार ईवीएम, वीवीपैट मशीनों के द्वितीय रेण्डमाईजेशन की प्रक्रिया पूरी की गई। रायगढ़ लोकसभा में एफएलसी पश्चात 2881 बीयू, 2881 सीयू तथा 3117 वीवीपैट का रेण्डमाईजेशन किया गया। रेण्डमाइजेशन के बाद ईवीएम मशीनों के कमीशनिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा।

इस अवसर पर आशीष शर्मा, पवन शर्मा, मनीष पाण्डेय, ईवीएम नोडल रायगढ़ डिप्टी कलेक्टर रेखा चंद्रा, डिप्टी कलेक्टर समीर बड़ा, डीआईओ एनआईसी आशीष वर्मा, फकीर मोहन षडंगी एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

मतदान सामग्री वितरण/ वापसी दलों को दिया गया प्रशिक्षण

रायगढ़। लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत मतदान सामग्री वितरण/ वापसी दलों के अधिकारी-कर्मचारियों को आज कलेक्टोरेट के सृजन सभाकक्ष में प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें जिले के चारों विधानसभाओं के प्रशिक्षणार्थियों को मतदान सामग्री के वितरण और वापसी करने के दौरान बरते जानी वाली सावधानियों से अवगत कराया गया।

जिला मास्टर ट्रेनर राजेश डेनियल एवं विकास रंजन सिन्हा ने प्रशिक्षण के दौरान बताया कि सामग्री वितरण एवं संग्रहण हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 20 काउंटर बनाए गए हैं, जिसमें एक काउंटर मतदान दलों की सहायता हेतु भी शामिल है। इन काउंटरों से 6 मई 2024 को प्रात: 6 बजे सामग्रियों की वितरण की जाएगी। इसमें ईवीएम एवं वीवीपैट मशीन निर्वाचन कार्य हेतु कुछ विशेष नंबर वाले रोलिंग पेपर, 30 विभिन्न आकार और कलर के लिफाफे व बुकलेट एवं निर्वाचन हेतु आवश्यक सामग्रियों का जूट बैग, मेडिकल कीट निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक मतदान दल के कर्मचारियों को दिया। रायगढ़, लैलूंगा एवं खरसिया विधानसभा क्षेत्र के मतदान सामग्री का वितरण केआईटी कॉलेज गढ़उमरिया रायगढ़ से 6 मई 2024 को प्रात: 6 बजे से की जाएगी। इसी तरह धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र हेतु सामग्री का वितरण डाइट धरमजयगढ़ से निर्धारित समय पर किया जाएगा।

खाना बनाने के मामूली विवाद पर छोटी बहन ने बड़ी बहन की कर दी हत्या

रायगढ़ । आरएनएस

रायगढ़ में पतरापाली इलाके में खाना बनाने को लेकर उपजे मामूली विवाद पर छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन का सिर कुचलकर हत्या कर दी। मामले मे आरोपी छोटी बहन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पतरापाली में रहने वाले दो बहनें रंजिता तथा नेहा के बीच अक्सर घर में एक दूसरे को मिलने वाली छूट तथा माता-पिता के प्यार को लेकर विवाद होता रहता था। बीती रात भी दोनों बहनों के बीच खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि छोटी बहन नेहा ने बड़ी बहन रंजिता के साथ झगड़ा भी किया। जिसके बाद बड़ी बहन ने खाना बनाया और छोटी बहन नेहा को खाना खाने के लिये भी कहा लेकिन गुस्से में छोटी बहन ने खाना नही खाया और रात करीब 10 बजे जब बड़ी बहन रंजिता सो रही थी तब छोटी बहन नेहा ने सो रही बडी बहन रंजिता के सिर पर घर में रखे सिलबट्टे से कई वार किये। जिससे रंजिता बुरी तरह घायल हो गई और कुछ देर बाद मौत हो जाती है। इस मामले की जानकारी परिजनों ने कोतरा रोड थाने में दी। जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी छोटी बहन नेहा को पकडक़र पुछताछ किया तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों बहनों के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर विवाद होते रहता था। पुछताछ में नेहा ने पुलिस को बताया कम उनके परिजन बड़ी बहन रंजिता से ही अधिक प्यार करते थे और हमेशा उसी का साथ देते थे इस बात से वह हमेशा दुखी होती थी। उसे घर में किसी का भी साथ नही मिलता था। बीती रात भी खाना बनाने की बात को लेकर हुए विवाद के बाद घरवालों ने उसकी बड़ी बहन का ही सपोर्ट किया जिससे गुस्से में आकर उसने हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया है।

मोबाइल एप्स से मिल रही है निर्वाचन प्रक्रिया में सुविधा

सारंगढ़ बिलाईगढ़

निर्वाचन में सूचना प्रौद्योगिकी और नई तकनीकें अहम भूमिका निभा रही हैं। निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी एवं सहभागिता बढ़ाने में सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत निर्वाचन आयोग नई तकनीकों और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग निर्वाचन को और ज्यादा सुगम, निष्पक्ष तथा समावेशी बनाने में कर रहा है।

लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक नागरिक का जागरूक और सजग रहना जरूरी है। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रौद्योगिकी आधारित मोबाइल एप्स विकसित कर उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया है। आयोग द्वारा विकसित विभिन्न मोबाइल एप्स के उपयोग से मतदाताओं की निर्वाचन प्रक्रियाओं में सहभागिता और सुविधा दोनो बढ़ी है।

वोटर हेल्पलाइन एप (Voter Helpline App) - वोटर हेल्पलाइन एप से मतदाता अपना मतदाता परिचय पत्र (एपिक) नम्बर डाल कर बहुत ही आसानी से अपने विधानसभा, पोलिंग बूथ एवं मतदाता सूची में सरल क्रमांक पता कर सकते हैं। यदि एपिक नंबर नहीं मालूम है तो मतदाता अपना विवरण जैसे कि नाम, रिश्तेदार का नाम, उम्र, लिंग एवं निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी भरकर अपना नाम मतदाता सूची में खोज सकते हैं। यदि मतदाता का मोबाइल नंबर मतदाता सूची में पंजीकृत है तो मतदाता अपना ई–एपिक भी डाउनलोड कर सकता है। मोबाइल नम्बर रजिस्टर्ड न होने की स्थिति में आवश्यक सुधार के लिए आवेदन कर ई-एपिक भी डाउनलोड कर सकता है। इस एप के जरिए मतदाता अपना नाम जोड़ने, विलोपन, स्थानांतरण या संशोधन के लिए आवेदन भी कर सकते हैं।

वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र सहित किसी भी अन्य क्षेत्र के प्रत्याशियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से प्रत्याशी द्वारा नामांकन के दौरान प्रस्तुत शपथ पत्र भी देखा जा सकता है। इसके जरिए मतगणना दिवस को परिणाम की अधिकृत जानकारी भी देखी जा सकती है। इस एप से निर्वाचन सम्बन्धी शिकायत भी की जा सकती है।

सी-विजिल एप - इस एप के जरिए आम नागरिक निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की तस्वीर और वीडियो को सीधे निर्वाचन आयोग को भेज सकता है। निर्वाचन के दौरान अगर किसी भी नागरिक को यह दिखता है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो वह इस एप पर अपनी शिकायत भेज सकता है। शिकायतकर्ता फोन पर सी-विजिल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सीधे घटना की फोटो, वीडियो या आडियो अपलोड कर सकते हैं। मतदाता को रिझाने के लिए पैसे अथवा उपहार वितरण, भड़काऊ भाषण देने, बिना अनुमति बैनर-पोस्टर लगाने, मदिरा वितरण, बिना अनुमति सभाएं करने, अनाधिकृत सामग्री परिवहन, प्रचार के समय की समाप्ति के बाद सभा, मतदान केन्द्र के 200 मीटर के अंदर प्रचार जैसे मामलों की शिकायत इस एप के माध्यम से की जा सकती है।

सक्षम मोबाइल एप – इस एप के जरिए दिव्यांग मतदाताओं को निर्वाचन के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान करने का प्रयास किया गया है। आयोग ने सक्षम एप के रूप में दिव्यांगों के लिए एक वन स्टॉप साधन विकसित किया है। दिव्यांग मतदाता निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। इस एप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। एप को उपयोगकर्ताओं के अनुकूल (User-friendly) बनाने के लिए डिज़ाइन, ले-आउट, इंटरफ़ेस और सुविधाओं को बेहतर रूप दिया गया है। इसमें स्क्रीन रीडर, टेक्स्ट टू स्पीच सेवा, दृश्यता संवर्द्धन, रंग समायोजन जैसी सुविधाएं भी हैं। एप को दो-तरफ़ा इंटरैक्टिव प्लेटफ़ॉर्म के रूप में डिज़ाइन किया गया है।

सक्षम एप के जरिए पंजीकरण की प्रक्रिया से लेकर मतदान के दिन पिक एंड ड्रॉप सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। साथ ही दिव्यांगजन के रूप में चिन्हित करने के लिए अनुरोध, सुधार, प्रमाणीकरण, व्हील चेयर, सहायता, अपने मतदान केंद्र को जानें, बूथ लोकेटर, अपने उम्मीदवारों को जानें, शिकायतें दर्ज करें जैसी कई अन्य सुविधाएं भी इस एप में उपलब्ध हैं।

सुविधा कैंडिडेट एप – इस एप के माध्यम से निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को अपना नामांकन पत्र एवं शपथ पत्र ऑनलाइन भरने की सुविधा मिलती है। ऑनलाइन आवेदन के बाद स्लॉट बुक कर निर्धारित तिथि में भौतिक सत्यापन एवं निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। इतना ही नहीं प्रत्याशी को रैली, सभा आदि की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी इस एप में है।

वोटर टर्न ऑउट एप – इस मोबाइल एप का उपयोग कर मतदान के दिन आम नागरिक मतदान की जानकारी पल-प्रतिपल देख सकते हैं। इस एप के जरिए नागरिक तीनों ही चरणों में वोटर टर्न ऑउट की अद्यतन स्थिति जान सकते हैं। मतदान के दिन मतदान केन्द्रों के पीठासीन अधिकारी द्वारा हर दो घंटे में अपने केन्द्र पर मतदान की अद्यतन जानकारी प्रदान की जाती है।

नो यूअर कैंडिडेट (केवायसी) एप – इस एप के माध्यम से मतदाता निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतदाता अपने लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की शिक्षा, संपत्ति, आपराधिक रिकार्ड आदि की जानकारी इससे प्राप्त कर सकता है। इस एप से मतदाताओं को निर्वाचन के लिए सही प्रत्याशी का चयन करने में मदद मिलती है।

इलेक्शन सीज़र मैनेजमेंट सिस्टम (ईएसएमएस) एप – राज्य के 1800 से अधिक स्थैतिक एवं उड़नदस्ता दलों द्वारा की जा रही जब्ती (सीज़र) की कार्यवाहियों को इस एप पर अपलोड किया जाता है। पुलिस विभाग, आयकर विभाग, जीएसटी विभाग के अधिकारी हर जब्ती को इस एप पर अद्यतन करते हैं। इससे निर्वाचन आयोग को स्थैतिक एवं उड़नदस्ता दलों द्वारा की जा रही कार्यवाहियों की जानकारी मिलती है और उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480